

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

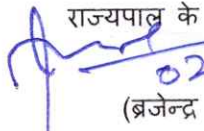
क्रमांक प.1(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 02.06.2025

::अधिसूचना::

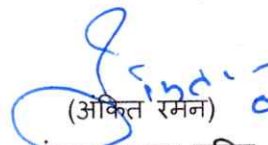
राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एवं बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 व 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायालय का नाम	प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला न्यायालय, ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
2	जिला न्यायालय, अजमेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला अजमेर	अजमेर
3	जिला न्यायालय, पाली	सम्पूर्ण राजस्व जिला पाली	पाली
4	जिला न्यायालय, भीलवाडा	सम्पूर्ण राजस्व जिला भीलवाडा	भीलवाडा
5	जिला न्यायालय, बाड़मेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला बाड़मेर	बाड़मेर
6	जिला न्यायालय, बालोतरा	सम्पूर्ण राजस्व जिला बालोतरा	बालोतरा
7	जिला न्यायालय, डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना-कुचामन	डीडवाना
8	जिला न्यायालय, मेडता	सम्पूर्ण राजस्व जिला नागौर	मेडता
9	जिला न्यायालय, डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
10	जिला न्यायालय, भरतपुर	सम्पूर्ण राजस्व जिला भरतपुर	भरतपुर
11	जिला न्यायालय, अलवर	सम्पूर्ण राजस्व जिला अलवर	अलवर
12	जिला न्यायालय, खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल-तिजारा	खैरथल
13	जिला न्यायालय, जयपुर जिला	जयपुर महानगर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्व जिला जयपुर	जयपुर
14	जिला न्यायालय, कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली
15	जिला न्यायालय, फलौदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलौदी	फलौदी
16	जिला न्यायालय, जोधपुर जिला	जोधपुर महानगर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्व जिला जोधपुर जिला	जोधपुर
17	जिला न्यायालय, सलूमबर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूमबर	सलूमबर
18	जिला न्यायालय, उदयपुर	सम्पूर्ण राजस्व जिला उदयपुर	उदयपुर

राज्यपाल के आदेश से,

02.6.25
(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी/डीडवाना-कुचामन/खैरथल-तिजारा/ब्यावर/बाड़मेर/डीग/कोटपूतली-बहरोड/सलूमबर/अजमेर/पाली/भीलवाडा/बालोतरा/मेडता/नागौर/भरतपुर/अलवर/जयपुर/जोधपुर जिला/उदयपुर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन) 02.6.25
संयुक्त शासन सचिव